



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012021-224263
CG-DL-E-07012021-224263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2021/पौष 17, 1942

No. 7]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2021/PAUSHA 17, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(वन संरक्षण प्रभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 8(अ).—केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) नियम, 2003 के नियम 9 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस मंत्रालय के का.आ.1186 (अ), तारीख 01 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना के अधिक्रमण में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है :-

अधिसूचना

केंद्रीय सरकार, एतद्वारा ऐसी वन भूमि, जिसके संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया अभिकथित हो, पर क्षेत्राधिकार रखने वाले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों के ऐसे अधिकारियों, जो वन संरक्षक के स्तर से नीचे के स्तर के न हों, के पास ऐसे व्यक्तियों/प्राधिकरण/संगठन, जो प्रथम दृष्टया इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध या उस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन का दोषी पाये जाएं, के विरुद्ध मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में, शिकायतें दर्ज करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा.सं. एफसी-11/107/2019-एफसी]

अभिजीत राँय, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 23 (अ), तारीख 10 जनवरी, 2003 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदन्तर इनमें सा.का.नि. 94 (अ), तारीख 03 फरवरी 2004, सा.का.नि. 107 (अ), तारीख 09 फरवरी, 2004, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 14 मार्च 2014, सा.का.नि. 713(अ), तारीख 10 अक्टूबर, 2014 और सा.का.नि. 200 (अ), तारीख 06 मार्च 2017 के द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(Forest Conservation Division)

New Delhi, the 17th November, 2020

G.S.R. 8(E).—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of Rule 9 of the Forest (Conservation) Rules, 2003, the Central Government, and in suppression of the Notification of this Ministry bearing number S.O. 1186 (E), dated the 1st October, 2003, Ministry of Environment, Forest and Climate Change hereby notifies as follows:—

NOTIFICATION

The Central Government hereby authorizes officers not below the rank of Conservator of Forests in the Integrated Regional Offices of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offense under the Forest (Conservation) Act, 1980 is alleged to have been committed, to file complaints against such person (s)/authority/organization prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.

[F. No. FC-11/107/2019-FC]

ABHIJIT ROY, Under Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 23 (E) dated the 10th January, 2003 and subsequently amended vide G.S.R 94 (E) dated the 3rd February, 2004, vide G.S.R. 107 (E) dated the 9th February, 2004, vide G.S.R. 185 (E) dated the 14th March, 2014, vide G.S.R. 713 (E) dated the 10th October, 2014, and vide G.S.R. 200(E) dated 6th March, 2017.